न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-419RAAJodhpur2024-169RTA223 Umaram ors Vs Pemaram etc

1. उमाराम गोदपुत्र श्री हरजीराम के कायम मुकामः–
   1.1. श्रीमती झम्मु देवी पत्नी स्व. श्री उमाराम
   1.2. प्रेमसुख पुत्र स्व. श्री उमाराम
   1.3. श्रीमती बेबी पुत्री स्व. श्री उमाराम पत्नी श्री किशनलाल
   1.4. श्रीमती चन्दु पुत्री स्व. श्री उमाराम पत्नी श्री ओमप्रकाश
   1.5. अशोक कुमार पुत्र स्व श्री उमाराम
2. बिड़दाराम पुत्र श्री नगाराम
3. लालाराम पुत्र श्री नगाराम
4. भैराराम पुत्र श्री नगाराम
5. हरकु पत्नी श्री बिडदाराम

सभी जातियान जाट, निवासीगण खाबडा खुर्द तहसील औसिया जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. पेमाराम पुत्र श्री पाबूराम
2. हीराराम पुत्र श्री पाबूराम
3. चौनाराम पुत्र श्री पाबूराम
4. भोमाराम पुत्र श्री गजाराम के कायम मुकाम–
   4.1. श्रीमती लाछा पत्नी स्व. श्री भोमाराम
   4.2. नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री भोमाराम
   4.3. तुलछी पुत्री स्व. श्री भोमाराम पत्नी श्री खेताराम
   4.4. भूरी पुत्री स्व. श्री भोमाराम पत्नी श्री भूराराम
   4.5. मोहनराम पुत्र स्व. श्री भोमाराम
   4.6. जेती पुत्री स्व. श्री भोमाराम पत्नी श्री दुर्गाराम
5. उमाराम पुत्र श्री कुम्भाराम

   सभी जातियान जाट, निवासीगण ग्राम खाबडा खुर्द, तहसील औसियां जिला जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसिया जिला.जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 अगस्त 2024 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 244/2012 पेमाराम व अन्य बनाम उमाराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित–
श्री मनोहरलाल पालीवाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री नरपत चौधरी, श्री ए.आर. बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3 व 5
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक : 06 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 244/2012 अनवान पेमाराम व अन्य बनाम उमाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 अगस्त 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 23 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम खाबडा खुर्द तहसील ओसियां के खेत खसरा नम्बर 1768 रकबा 178 बीघा 17 बिस्वा के संबंध में धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2024 को वादीगण का वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट्स/प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिस पर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या एक द्वारा हरजीराम पुत्र श्री खुमा जी के गोद जाने की तारीख से ही संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है तथा उसमें बने मकान व ढाणी में हरजीरामजी के जीवनकाल से ही उसके साथ निवास रहा है। हरजीरामजी के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी/अपीलान्ट संख्या एक ही वादग्रस्त भूमि पर बने मकान एवं ढाणी में अपने परिवार सहित निवासरत व काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट्स की नियत में समय के अनुसार खोट आ जाने व अपीलान्ट को हैरान व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

परेशान करने की बदनियती से झूठे आधारो पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर एकतरफा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या एक को किस तारीख को नोटिस जारी किये गये, इस बाबत अंधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं में कही पर भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा प्रतिवादी/अपीलान्ट को किसी प्रकार के कोई नोटिस यदि जारी किये गये हो तथा वे नोटिस प्रतिवादीगण/अपीलान्ट पर तामील हो गये हो, ऐसी कोई रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादी/अपीलान्ट को अधिनस्थ द्वारा न तो कोई नोटिस भेजे गये तथा न ही कोई नोटिस प्राप्त हुए। विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से प्रतिवादी/अपीलान्ट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया गया, जबकि बंटवाड़ा के दावे में किसी भी पक्षकार के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश कानूनन कतई पारित नहीं किये जा सकते है। प्रतिवादी/अपीलान्ट संख्या एक को वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा उसकी खातेदारी, कब्जा–काश्त की भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर देने व उसके संबंध में औसिया कोर्ट में दावा कर दिये जाने की धमकिया देने पर प्रतिवादी/अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से पता करने पर जवाब प्रस्तुत किया गया तथा उसके पश्चात अधिवक्ता के द्वारा तारीख पेशी की सूचना नहीं देने व सम्पर्क नहीं हो पाने के कारण प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.07.2024 को अपीलांट की बिना सहमति के ही नो इंस्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया। तत्पश्चात माननीय अधीनस्थ न्यायालय का यह कानूनी दायित्व बनता था कि वह अपीलांट को पुनः तारीख पेशी की सूचना के नोटिस जारी कर सूचित करे, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया पालना किये बिना व प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकतरफा, मनमाना, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते हुए वादी संख्या चार भोमाराम पुत्र श्री गजाराम का दिनांक 04.04.2022 को स्वर्गवास हो गया था। वादीगण का यह कानूनी दायित्व बनता था कि वह कानूनन नियत समायावधि में वादी भोमाराम के वारिसान को रेकर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते, परन्तु वादीगण के द्वारा नियत समयावधि में कानूनन वादी संख्या चार के वारिसान को रेकर्ड पर लेने के लिए न तो कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथा न ही न्यायालय को इस संबंध में अवगत करवाया। वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में वादग्रस्त भूमि 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित करने, भूमि की अलग–अलग तरमीम करने तथा 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण को बंटवाडा के जरिये बाई मिटस एण्ड बाउन्डस कर अलग खाते में दर्ज कर लटठा टेस में तरमीम करने इत्यादि बावत् पेश किया गया था। बंटवारा के दावा में प्रत्येक पक्षकार वादी एवं प्रत्येक पक्षकार प्रतिवादी होता है। वाद में किसी प्रकार का संशोधन इत्यादि किया जाना होता है तो उसके सबंध में लिखित रूप में कानूनन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके तथा दोनों पक्षकारों की सुनकर के संशोधन के सबंध में आदेश पारित करने पर ही सशोधन किया जा सकता है तथा उसके संबंध में पुन संशोधित वादपत्र इत्यादि प्रस्तुत करना होता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम कानूनी प्रक्रिया को जानबूझकर नजर अंदाज करते हुए वादीगण को फायदा पहुंचाने की बदनियती से गैर कानूनी तरीके से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिज के है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 अगस्त 2024 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बसह में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1768 रकबा 178.17 बीघा वक्त बन्दोबस्त हरजीराम पुत्र सुखाराम नाम से खातेदारी दर्ज थी। हरजीराम द्वारा उपरोक्त भूमि में सें 26 बीघा भूमि अपने भाई उम्मेदाराम जी के पुत्र पाबुराम, कुम्भाराम व गजाराम जी को बेचान कर दी, जिसका बाद नामांतरकरण खाता अलग होकर नवीन खसरा नं. 1768/1 दर्ज किया गया। तत्पश्चात हरजीराम द्वारा 10 बीघा भूमि इन्ही व्यक्मितयों को बेचान की गई, जिसका नवीन खसरा नंबर 1768/2 दर्ज किया गया। उपरोक्त बेचाननामों के पश्चात हरजीराम के नाम से खसरा नं. 1768 में रकबा 142.17 बीघा शेष रही। अपीलांट संख्या एक व दो की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त आराजी में संबंध में सन् 2006 में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें वादीगण द्वारा कथन किया गया कि हरजीराम लाऔलाद फौत हुए एवं उन्होंने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नही लिया। वादीगण द्वारा उक्त वाद में कथन किया गया कि स्व.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हरजीराम की फौतेदगी में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 360 जो अपीलांट संख्या एक के नाम से स्वीकृत हुआ, उक्त नामांतरकरण अपीलांट संख्या एक द्वारा गलत तरीके से स्वीकृत करवाया गया है। उक्त वाद को अपीलांट संख्या एक व अपीलांट संख्या दो से चार ने दुरभिंसधि करके विड्रो कर लिया। वंशावली के अनुसार रेस्पाडेन्ट्स/वादीगण व अपीलाण्ट संख्या 01 से 04/प्रतिवादीगण के पूर्वज श्री खियाराम जी के दो पुत्र थे– खुमाराम जी व कालुराम जी। खुमाराम जी के एक पुत्र श्री हरजीराम थे तथा कालूराम जी के दो पुत्र नगाराम जी व उम्मेदारामजी थे। वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार हरजीराम के कोई जाइन्दा सन्तान नही थी तथा न ही हरजीराम ने अपने जीवनकाल ने किसी को गोद ही लिया था। हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार हिन्दुओं में दत्तक इस अधिनियम के अधीन ही होगा, अन्य रूप से कोई भी दत्तक शून्य होगा। अपीलाण्ट सख्या 01/प्रतिवादी संख्या 01 को हरजीराम ने कभी गोद नहीं लिया गया था। हरजीराम के देहान्त के बाद उनका कोई प्रथम श्रेणी का खातेदार अधिकारी नहीं था। हरजीराम के प्रथम श्रेणी के कोई वारिसान नहीं होने के कारण वादग्रस्त आराजी में उनके द्वितीय श्रेणी के वारिसान/ अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स को बराबर–बराबर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टस/वादीगण को 1/2 हिस्से को खातेदार घोषित किया गया है इस कारण से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कोई तथ्यात्मक व वैधानिक गलती नहीं होने के कारण अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि मृतक पक्षकार के विधिक वारिसानों को यदि कोई ऐतराज नहीं है तो दुसरे पक्षकार ऐतराज नही कर सकते है। अपीलांट्स का कथन है कि वादीगण अपने वाद में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते है इस संबंध में आदेश 23 सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों अनुसार वादीगण जब चाहे संशोधन करवा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरणं संख्या 30 ग्राम भीकमकौर तहसील औसियां के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1768 रकबा 178.17 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट हरजी वल्द खुमा के नाम दर्ज रही है। खातेदार हरजी वल्द खुमा द्वारा उक्त आराजी में सें 26 बीघा भूमि जरिये बेचान रूपये 50 किये जाने पर उक्त रकबा 26 बीघा क्रेतागण कुम्बा, गजा, पाबू पि. उमेदा कौम जाट के नाम नामांतरकरण संख्या 30 के जरिये दर्ज किया जाना पाया जाता है। आगामी जमाबंदी(खेवट खतौनी) ग्राम खाबड़ा खुर्द तहसील औसियां, जिला जोधपुर संवतः 2019–2022 में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1768 रकबा 152.17 बीघा खातेदार हरजीड़ा वल्द खुमाराम के नाम दर्ज होना प्रकट होती है। तत्पश्चात खातेदार हरजीराम द्वारा खसरा नं. 1768 रकबा 152.17 बीघा में सें 10 बीघा भूमि क्रेतागण कुम्बाराम, गजाराम, पाबुराम वल्द अमेदराम को बेचान किये जाने उक्त आराजी नामांतरकरण संख्या 74 कि जरिये उक्त क्रेतागण के नाम दर्ज की गई है। खातेदार हरजीराम द्वारा कुल रकबा 36 बीघा बेचान किये जाने पर उनके खाते में रकबा 142.17 बीघा भूमि शेष रही।

पत्रावली पर उपलब्ध लिखत दिनांक 01.08.1967 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार हरजीराम वल्द खुमाराम कौम जाट साकिन खाबड़ा खुर्द द्वारा अपने भाई नगाराम के पुत्र उमाराम को तमाम मुखीयान् के रूबरू राजी–खुशी से को गोद लिया गया तथा खसरा नं. 1768 रकबा 178.17 बीघा भूमि उमाराम के नाम कराने तथा उक्त जायदाद और लेन–देन का हकदार उमाराम का बनाया जाना प्रकट होता है।

मामले में प्रस्तुत गोदनामा लिखत एवं उपलब्ध अभिलेख अनुसार उमाराम का उनके गोद–पिता के देहांत के उपरांत फौतेदगी नामांतरकरण स्वीकृत किया जाकर खातेदार हरजीराम के स्थान पर अपीलांट उमाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर अनवरत उसके नाम का इन्द्राज चला आ रहा है। अपीलांट के प्राकृतिक पिता नगाराम के फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 248 स्वीकृत किया जाकर अपीलांट उमाराम को छोड़ते हुए उनके तीन भाईयों के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नामांतरकरण में स्पष्ट अंकित किया गया है कि नगाराम के चार जायंदा पुत्र है, परन्तु मौके पर काबिज तीन भाई है। उक्त नामांतरकरण में चौथे पुत्र उमाराम के गोद चले जाने का अंकन है, जिससे साबित है कि उमाराम सामाजिक रीति–रिवाज से ही गोद गया है, जिसकी लिखत भी की गई थी और उसके असली पिता की सम्पति से भी उसका नाम पृथक किया गया था। रेस्पोडेंट्स द्वारा आज से लगभग 55–60 साल बाद इस प्रकार का दावा करना कि उमाराम गोद नहीं गया था तथा हरजीराम की संपति में सभी प्रतिवादीगण का हिस्सा है, प्रथमदृष्टया विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध अन्य सहमति पत्र(इकरारनामा) जो रेस्पोडेंट्स एवं अपीलांट उमाराम पुत्र हरजीराम के मध्य निष्पादित हुआ है, में रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट उमाराम को हरजीराम का पुत्र स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त स्वीकृत तथ्यों के बावजूद अपीलांट उमाराम के स्व. हरजीराम के गोद जाने के तथ्य को नकारते हुए वाद प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत वाद में अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं जवाबदावा के आधार पर मामले में कुल 14 तनकीयात कायम किये गये है। विचारण न्यायालय में पत्रावली वादीगण की साक्ष्य में विचाराधीन रहने प्रतिवादीगण/अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 09.07.2024 को नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिये जाने के पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को पुनः सूचना बाबत नोटिस जारी कर साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाना प्रकट होता है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार मामले में विरचित तनकीयात पर अपना मत पारित किये बिना आदेशिका में ही निर्णय पारित कर वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना पाया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से बिना कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये केवल आदेशिका पर बंटवाड़ा का अनुतोष नहीं चाहने के अंकन के आधार पर विभाजन के अनुतोष प्रत्याहरित किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत पाया जाता है। इससे यह भी साबित होता है कि वकील प्रतिवादी द्वारा नो इंस्ट्रक्शन किये जाने के उपरांत वादगण मामले में प्राथमिक डिक्री जारी नहीं करवाना चाहते थे। चूंकि यदि प्राथमिक डिक्री जारी हो जाती तो प्रतिवादीगण को पुनः सूचना मिल जाती तथा वे विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही हेतु हाजिर हो जाते।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वस्तुतः उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुरूप अपीलांट्स सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन करते हुए मामले विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 244/2012 अनवान पेमाराम व अन्य बनाम उमाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 अगस्त 2024 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट्स को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे विरचित तनकीयात पर प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के परिप्रेक्ष्य में तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष पारित कर मूल वाद का निस्तारण किया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर